कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4 /रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत अमित कुमार शर्मा, व्याख्याता, रसायन विज्ञान राबाउमावि, केथून, कोटा का स्थानांतरण श्री महावीर राउमावि, बीजापुर, पाली किया गया। श्री अमित कुमार शर्मा द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 23/2020 अमित कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.2020 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री अमित कुमार शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के माता पिता के वृद्व तथा बीमार होने तथा बेटी के कोटा में अध्ययनरत होने के आधार पर राउमावि, खातोली, पील्दा, कोटा/ राउमावि, चाँदली, देवली, टोंक/राउमावि, कवाई, अटरू, बारां/राउमावि, डग, झालावाड़/राउमावि, केलादेवी, हिण्डौन, करौली की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.10.19 को अपने स्थानान्तरित विद्यालय श्री महावीर राउमावि, बीजापुर, पाली में कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/अमित कुमार शर्मा/को.के/19–20 दिनांकः– 25.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्रधानाचार्य.................................... ।
8. संबंधित कार्मिक.. ।
9. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर